

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 103/2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)


1. जगदीश सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह
3. बबतावर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
4. मनोहर सिंह पुत्र स्व. श्री जयसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम इटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कनक जैन आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू जिला जयपुर ।
2. भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री समुद्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्द सिंह कालोनी, निवासी ग्राम इटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. दरियाव कंवर पत्नी स्व. श्री दरियाव सिंह
4. ज्योति स्वरूप पुत्र स्व. श्री दरियाव सिंह
5. नन्दू कंवर पत्नी स्व. श्री करण सिंह
6. कविता उर्फ कोमल पुत्री स्व. करण सिंह
7. चंचल पुत्री स्व. करण सिंह
8. प्रियंका पुत्री स्व. करण सिंह
9. उज्ज्वल सिंह पुत्र स्व. श्री करण सिंह नाबालिग
10. खुशबु पुत्री स्व. श्री करण सिंह नाबालिग
11. उछब कंवर पुत्री स्व. श्री गोविन्द सिंह
12. रसाल कंवर पुत्री स्व. श्री गोविन्द सिंह
13. राजू कंवर उर्फ राज कंवर पुत्री स्व. श्री गोविन्द सिंह
14. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह
15. पर्वत सिंह पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह
16. शिम्भू सिंह पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह
17. विक्रम सिंह पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह
18. भंवर कंवर पुत्री स्व. श्री बजरंग सिंह
19. पुष्पा कंवर पुत्री स्व. श्री बजरंग सिंह
20. सिरु कंवर पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह
21. गोरधन सिंह पुत्र स्व. श्री जयसिंह
22. ओम कंवर पत्नी स्व. श्री प्रेम सिंह
23. कुलदीप कंवर पुत्री स्व. श्री प्रेम सिंह
24. पूजा कंवर पुत्री स्व. श्री प्रेम सिंह
25. राजपाल सिंह पुत्र स्व. श्री प्रेम सिंह
26. सुरेश कंवर पुत्री स्व. श्री प्रेम सिंह

  
जिला कलक्टर  
जयपुर

27. पूरण सिंह पुत्र स्व. श्री रोडू सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम इटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

28. उप पंजीयक कार्यालय चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।

30. रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक, इटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र वावत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 630/2013 व उनवानी भंवर सिंह बनाम जगदीश सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने वावत।

उपस्थित -

1. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा एवं दिनेश प्रजापति अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री घीसालाल कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी 02 की ओर से।

निर्णय


दिनांक 01.04.2025

संक्षेप में मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 630/2013 व उनवानी भंवर सिंह बनाम जगदीश सिंह व अन्य व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री घीसालाल कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी वादी भंवर सिंह जो कि न्यायालय चौमू जिला जयपुर में स्वयं अधिवक्ता है तथा चौमू स्थित न्यायालय परिसर में बैठ कर व्यवसाय करता है एवं पूर्व में दी बार एसोसिएशन चौमू में प्रदाधिकारी भी रह चुका है, के द्वारा मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को धमकी दे रहा है कि वह अधिवक्ता होने के कारण वर्तमान में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू को अपने प्रभाव में लेकर मूल वाद में डिकी पारित करवा लेगा। जिस कारण प्रार्थीगण को वर्तमान न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं होने से मिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 भंवर सिंह के प्रभाव में अपने सम्मुख प्रस्तुत उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को को लाभ पहुंचाने की नियत से मिन प्रार्थीगण के हितों के विपरीत सुनवाई किये जाने के मध्यनजर मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कोई उम्मीद ना होने के कारण

  
जिला कलक्टर  
जयपुर

पूर्ण अन्देशा है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त प्रकरण को प्रार्थीगण के हितों के विपरीत विधि विरुद्ध अप्रार्थीगण के हित में निस्तारित कर देगी जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित नहीं किया गया तो अप्रार्थी वादी संख्या 02 भंवर सिंह द्वारा स्वयं जो कि एक अधिवक्ता है के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 को अपने प्रभाव में लेकर मिन प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के हितों के विपरीत विधि विरुद्ध रूप से प्रकरण को अपने पक्ष में निस्तारित करवा लिया जायेगा जिससे मिन प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा मिन प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2013 से लम्बित ऐसे में स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 पिछले कई सालों से न्यायालय में वकालत का कार्य कर रहा है अगर अप्रार्थी संख्या 02 की ऐसी कोई मंशा होती तो पूर्व में ही उक्त वाद का निस्तारण करवा लेता। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण विधि सम्मत व कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्यवाही हो रही है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुत्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुत्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुत्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हसब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
9. निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर  
जयपुर